

क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

मोती उद्योग नगर, रामचंद्र लेन, मालाड (प.) बम्बई 400 064

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Moti Udyog Nagar, Ramchandra Lane, Malad (W), Mumbai - 400 064.

सं./ महा / भ. नि. / प्रयोज्यता

NO. MH/PF/APP/ 94051/1152

सेवा मे

To

EMPLOYEE'S PROVIDENT FUND ORGANISATION  
SUB ACCOUNTS OFFICE,  
Bhavistya Nishi Bhavan, Plot No. 222,  
Sector No. 3, Chhatrap Market,  
Chhatrap Poisar Road, Kandivli (W),  
Mumbai-400 067

दिनांक

Date : 08-02-2006

M/s. Amada (India) Pvt Ltd.  
C-wing-412 Floral Deck  
plaza MIDC opp Seepz Andheri  
(East) Mumbai-400093

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेत संख्या का आबंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder applicability thereof - Allotment of code number.

महोदय,

Sirs,

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दि \_\_\_\_\_ से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है की .....

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 13-10-2005.....The information made available reveals that.....

1. आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग \_\_\_\_\_ का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in.....one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना \_\_\_\_\_ के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as Trading & Commercial to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फैक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना के अ-सूचिबद्ध माना गया है।

(1-क) जाँच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is PROVISIONAL on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छे रूप से विस्तार के



सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. \_\_\_\_\_ दि. \_\_\_\_\_

के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि. \_\_\_\_\_ से, व्याप्ती करके उसके लिए एमएच/

\_\_\_\_\_ यह संकेत संख्या नियत की गई है।

(1-B) With reference to your application No. \_\_\_\_\_ Dated \_\_\_\_\_ received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/\_\_\_\_\_ PROVISIONALLY covering your establishment with effect from \_\_\_\_\_ pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(1-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए एमएच/\_\_\_\_\_ यह संकेत संख्या नियत की है। यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाएं।

(1-C) The code No. MH/94051 is allotted to you for the purpose of making compliance with the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.

2. आपको \_\_\_\_\_ से कर्मचारी भविष्य निधि योजना \_\_\_\_\_ से परिवार पेन्शन योजना तथा \_\_\_\_\_ से निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अभीतक न किये हो, तो

2. You are required to implement the provisions of the Employees' Provident Fund Scheme w.e.f. 13-10-2005 Family Pension Scheme w.e.f. 13-10-2005 and Deposit Linked Insurance Scheme w.e.f. 13-10-2005 if not already done.

3. फैक्ट्री / स्थापना में या उसके काम के सम्बन्ध में कार्य करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 26 के अनुसार निधि की सदस्यता के लिए पात्र होगा।

3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory / establishment shall be eligible for membership of the fund.

4. (1) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणभत्ते के

10% 12% की दर से अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान के समान होगा।

4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 10%, 12% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

(2) अंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है।

(ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(3) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतुर्थांश में परिकलित किया जाएगा। जैसे का 125 या उसके अधिक पैसे रुपये के अगले उच्च चतुर्थांश के अनुसार गिने जाए।

(iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i.e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee.

(4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उसके अधिक पैसे एक रुपया के अनुसार गिने जाए और 50 से कम पैसे छोड़ दिया जाए।

(iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

टिप्पणी:- किसी भी दिन आपने 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 10%, 12% अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

**Note :** On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions 10%, 12%.



(5) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर से देय दोनों अंशदान भरें।  
 (v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.

(6) टेकेदार द्वारा कामपर लगाये हुये कर्मचारीयों के बारे में देय अंशदान टेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रकम के साथ मुख्य नियोक्ता का सुपूर्त करेगा।

(vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.

(7) मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं टेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनों अंशदान और प्रशासनिक खर्चों की रकम भरने की जिम्मेदारी होगी।

(vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.

5. कर्मचारी की उसका वेतन देने से पहले आप उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटौती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की रकम के साथ प्रत्येकमहिने की समाप्ति के 15 के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पोषित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से भरें।

5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner :

(क) भ. नि. अंशदान (कर्मचारी एवं नियोक्ता का)	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 1 में निक्षेपित किया जाए।
(a) P.F. contributions (both employees' and employer's)	To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1
(ख) प्रशासनिक खर्चों की रकम	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निक्षेपित किया जाए।
(b) Administrative charges	To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2
(ग) परिवार पेन्शन अंशदान	कर्मचारी परिवार पेन्शन निधि लेखा सं 10 में निक्षेपित किया जाए।
(c) Family Pension contributions	To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10

टिप्पणी :- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात् मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते के 1.10% from 1-8-98 है। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5.00 रुपयों के कम परिकलित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5-00 रुपयें देय होगी।

NOTE : (i) The rate of administrative charges from 1-8-98 is 1.10% of pay i.e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

(2) यह भी नोट कर लिया जाये की सदस्य के वेतन के से यथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यो की उत्तरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निशिद्ध है।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.

(3) आपको सभी पात्र कर्मचारीयों के बारे में पिछले \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक के महिनो के लिए भविष्य कुल अंशदान इस पात्र की तारीख से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित खाते में निक्षेपित करना है।

(iii) You have to deposit the total P.F. contributions of the eligible employees for all past month namely from 13-10-2005 onwards to \_\_\_\_\_ in to the respective account within 15 days from the date of this letter.

(4) धन प्रेषण हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय या विभिन्न जिलों में स्थित निरिक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।



(v) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the State Bank of India.

(5) चेक यथा अवस्था क.भ.नि. लेखा सं 1,2,10,21 और 22 के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किये जाए।

(6) लेखा संख्या 1,2, और 10 में (उपयुक्त ब्योरों के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत लेख सं 21 और 22 में निम्नलिखित प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक महिने की समाप्ति के बाद अगले महिने के 15 दिन के अन्दर करना है।

6. Besides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amounts in Account Nos. 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

1. निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सं. 21. इस लेखा में नियुक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर 0.5% की दर से अंशदान निक्षेपित करना है।

(i) Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21 To this account will be deposited the contribution 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by employer.

2) क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासन लेखा सं 2 इस लेखा में नियुक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर 0.01% की दर से प्रशासनिक खर्चों की रकम निक्षेपित करनी है।

(ii) Regional Insurance Fund Administration Account No. 22 To this account will be deposited the administrative charges 0.01 per cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

7. उपयुक्त लेखा सं. 1,2,10,21, और 22 में किया जानेवाला निक्षेप अलग चालान द्वारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती चालान की प्रति प्रपत्र सं. 12-ए (निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेजी जाए।

7. The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challan and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 1-A (explained below).

8. आपको निम्नलिखित विवरणियों को पोषण/प्रेषण करना है।

8. You are required to maintain/forward the following returns.

1. क.भ.नि. योजना 1952 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या 9 तथा प. पे. योजना 1971 के अंतर्गत प्रपत्र सं. 3 (प.पे.नि.) योजना के अन्तर्गत फैक्ट्री/स्थापना की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या जो सदस्य बनने के लिए पात्र है उस कर्मचारियों के बारे में केवल एक बार इन्हे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है।

(i) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F.P.F. Scheme, 1971. These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/ establishment is covered under the Scheme.



(2) कर्मचारी भ. नि. योजना 1952 इन्हे इस कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दी प्रतियों में प्राप्त करना है तथा प.पे.नि. योजना 1971 के अंतर्गत प्रपत्र सं 2

(ii) Form No. 2 under the EPF Scheme, 1952 and also under F.P.F. Scheme, 1971. These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.

(3) प्रपत्र सं. 5-ए यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा मालिकी में अगर उत्तरवी परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपत्र के जरिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

(iii) Form No. 5 - A This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(4) प्रपत्र सं. 3-ब इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैक्ट्री /स्थापना में पोषित किया जाना है।

(iv) Form No. 3-A This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member.

(5) प्रपत्र सं. 6-ए यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है।

(v) Form No. 6-A This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.

(6) प्रपत्र सं. 12 - ए यह अंशदान की मासिक विवरणी है और इसे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है। भारतीय स्टेट बैंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए।

(iv) Form No. 12-A This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(7) प्रपत्र सं. 5 और 10 यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाना गया तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी है। उनके सम्बन्धित विवरणियाँ है जिन्हे तारीख 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता है।

(vii) Form Nos.5 and 10 These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.

9. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध हैं और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया है। शीघ्र गणक भी इससे संलग्न है।

9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Office and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure "A". A ready reckoner is also enclosed.

10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जाँच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रजिस्टर रखेगी।

10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.

11. निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार एक निरीक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।

11. An Inspection book in the following proforma may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observation :

(1) भविष्य निधि निरीक्षक का नाम \_\_\_\_\_

(i) Name of the Provident Fund Inspector..... K-R. Yadav.



- (2) जाँच किये गये लेखा की अवधि \_\_\_\_\_  
 (ii) Period for which accounts are checked.....  
 (3) भेट की तारीख \_\_\_\_\_  
 (iii) Date of visit.....  
 (4) टीका टिप्पणी \_\_\_\_\_  
 (iv) Observations.....

12. उपयुक्त धारा 2 के अनुसार आपकी फैक्ट्री/स्थापना के लिए एमएच/ \_\_\_\_\_ यह संकेत संख्या नियत की है। सदस्यों की लेखा संख्या, प्रपत्र संख्या 9 और प्रपत्र संख्या 3 (प.पे.नि.) के अनुसार क्रमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की वैयक्तिक लेखा संख्या एमएच/ \_\_\_\_\_/1, एमएच \_\_\_\_\_/2, एमएच \_\_\_\_\_/3, और इसी तरह लगातार होगी। एक बार एक सदस्य को नियत की गयी लेखा संख्या किसी भी मामले में दुसरे सदस्य के लिए नियत नहीं की जाएगी। (जिस सदस्य की लेखा संख्या दी गई है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)

12. As state in para 2 above, the code number allotted to your factory/establishment is MH/.....<sup>94051</sup>..... The account number of the individual members will be suffixed by the serial numbers in which they appear in Form No. 9, Form No. 3, (FPF). Thus the Account number of individual members will be MH/.....<sup>94051</sup>...../1, MH/.....<sup>94051</sup>...../2, MH/.....<sup>94051</sup>...../3, and so on. An account number once allotted to a member should in no case be allotter to another member, even though the member bearing Account number may have left your establishment.

13. यह सुनिश्चित किया जाए की निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 14 बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payment are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

14. इसके अतिरिक्त देयता की अदेनगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के अभियोग भी लगाया जाएगा।

14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.

15. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं; तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते हैं।

15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

भविष्य निधि निरीक्षक



Provident Fund Inspector  
Shri K.R. Yadav

भवदीय,  
 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त  
 महाराष्ट्र तथा गोवा

please acknowledge receipt of this communication

Yours faithfully,

Manjekar  
 Regional Provident Fund Commissioner  
 SRO-KND Maharashtra and Goa



संलग्नक :

encl.

१. संकेत संख्या के आबंटन सम्बन्धि सूचना

1. Instruction regarding allotment of A/c number and filling up of Scheme.
2. Instruction regarding transfer of previous Provident Fund accumulations and transfer of securities.
3. Ready Reckoner for calculating P.F. contributions/F. P. contributions/Deposit Linked Insurance Contribution.

लेखा संख्या के आबंटन सम्बन्धि सूचना

#### INSTRUCTION REGARDING ALLOTMENT OF ACCOUNT NUMBER

फैक्ट्री स्थापन की संकेत संख्या के अन्तर्गत योगकर्ता कर्मचारी की लेखा संख्या क्रमिक रूप से होगी। प्रत्येक फैक्ट्री/स्थापना आपनी खुद की क्रमसंख्या बनाएगी एवं निधि के जितने योगकर्ता हैं उतनी ही क्रमसंख्या होगी। फैक्ट्री/स्थापना की संकेत संख्या क्रमसंख्या के पहले जोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी/योगकर्ता की भविष्य निधि की पूर्ण लेखा संख्या तैयार होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी फैक्ट्री/स्थापना में 52 योगकर्ता हैं तो उनकी पूर्ण भविष्य निधि लेखा संख्या एम्एच/306/1, एम्एच/306/2, एम्एच/306/3, और इसी तरह लगातार एम्एच/306/52 तक होगी। जिससे एम्एच/306 यह फैक्ट्री/स्थापना की अपरिवर्तनीय संकेत संख्या सूचित है और संख्यात्मक क्रमांक योगकर्ता के लिए नियत की गयी लेखा संख्या सूचित करते हैं। संकेत संख्या की तरह योगकर्ता को एक बार नियत की गयी लेखा संख्या भी अपरिवर्तनीय होगी। योगकर्ता ने सेवा त्याग देने पर उसका लेखा बंद हो गया हो बन्द लेखा की लेखा संख्या रिक्त रखी जाए। उसे किसी नये सदस्य के लिए फिर से नियत न की जाए। योगकर्ता का फैक्ट्री/स्थापन से स्थानांतरण होने पर, जिस फैक्ट्री/स्थापना में वह कार्यकरता था उसमें उसकी लेखा संख्या अप्रवृत्त रहेगी लेकिन किसी अन्य को नियत नहीं की जाएगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और फैक्ट्री/स्थापना के बीच होने वाले पत्राचार में योगकर्ता की लेखा संख्या उद्धृत की जायगी।

The employee's subscriber's account number will be a running number under the code number of the factory/establishment. Each factory/establishment having a serial of its own and as many numbers in the serial as there are subscribers to the Fund. The running numbers prefixed with the code number of the factory/establishment will be the full Provident Fund Account Number of the employee/subscriber concerned. For example, if there are 52 subscribers in a factory/establishment their full Provident Fund Account Numbers will be MH/306/1, MH/306/2, MH/306/3, and so on till MH/306/52, where MH/306 denotes the unalterable factory/establishment's code number and the running, the account number, once allotted to the subscriber will not be changed when he quits service and his account is closed, the number of the closed account will be left blank and WILL NOT BE RE-ALLOTTED TO ANY NEW MEMBER. On transfer of a subscriber from one factory/establishment he joins and his account number in the factory/establishment in which he was last employed will become inoperative and will not be re-allotted to and one. The Account Number of each subscriber must be quoted in all correspondence between the Regional Provident Fund Commissioner and the factory/establishment and vice versa.